न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **57 / 2009** दायर दिनाँक **05.06.2009**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. हुसैन खां पुत्र सुखे खां (फौत) 1/1 सिकन्दर खां पुत्र हुसैन खां 1/2 मोहम्मद अली खां पुत्र हुसैन खां 1/3 शोकत अली खां पुत्र हुसैन खां 1/4 हाजन भंवरी बानों पत्नी स्व. हुसैन खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण लाडनूं तहसील लाडनूं जिला नागौर राज.।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना 2. नजीर खां पुत्र सुखे खां 3. ल्याकत खां पुत्र न्यामत खां 4. समीम बानों बैवा न्यामत खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण जावा बास लाडनूं तहसील लाडनूं जिला नागौर राज.।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.,

उपस्थितः–

1. श्री अजीत सिंह राठौड वकील वादी।
2. श्री नेमीचन्द शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **21.04.2026**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, डीडवाना की शरहद में वर्तमान खेत खसरा संख्या 1056 रकबा 0–16 बीघा भूमि के पुराना खसरा नम्बर 581 रकबा 23 बीधर 15 बिस्वा थी। उक्त खसरा की भूमि पर कब्जा–काश्त व खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण सं० 2 ता 4 के पूर्वज यानि पिता स्व० सुखे खाँ के नाम से रजिस्व रेकर्ड में सम्वत् 2014 से 2017 की खतोनी में दर्ज रही है। पुराना खसरा नम्बर 581 की खातेदारी वादी के पिता सुखे खां व बगसू खां के नाम सम्वत् 2014 से 2017 तक की बतौनी में नाम से दर्ज रही है। बगसू खां वादी के पिता स्व० सुखे खां के निकट के रिश्तेदार यानि भाई–बन्ध थे, जो सामिल ही रहते थे। बगसू खां परिवार सहित देश आजाद होने के समय ही पाकिस्तान जाकर बस गये, जो वहाँ के निवासी हो गये। बगसू खां के परिवार मैं वर्तमान में कोई भी सदस्य भारत में निवास नहीं कर रहे है। इसलिए उक्त वर्तमान बसरा नम्बर 1056 रकबा 16 बिस्वा भूमि पर कब्जा काश्त व खातेदारी व आधिपत्य वादी के पिता स्व० सुखे खां के समय से ही रहा है। तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर कब्जा काश्त व आधिपत्य वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 4 का ही रहा है । सम्वत् 2010 से 2021 तक को गिरदावरी में भी स्व० सुखे खां के वारिसान प्रतिवादी नजीर खां के खुद काश्त में भी दर्ज है । जिस भूमि का वादी व प्रतिवादी गण सं० 2 ता 4 निजी उपयोग व उपभोग हेतु ईट्ट– भट्टा के काम मैं भी लेते रहे है तथा वर्तमान में भी कब्जा व आधिपत्य वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 4 का ही है।

खेत बसरा नम्बर 1056 की भूमि का वर्तमान खतौनी में राज्य सरकार के नाम दर्ज हो गया, जबकि अभी भी कब्जा–काश्त वादी व प्रतिवादी सं 2 ता 4 का सदैव से चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादीगण के नाम जो उक्त खसरा के अलावा भूमि थी, वो भूमि डीडवाना आबादी के पास होने से काश्त के समय फसल में जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाने के कारण व आबादी के नजदीक होने से उक्त भूमि का बैचाण कर दिया, जहाँ वर्तमान में प्लोटिंग होकर रहवासी काम में आ रही है। उक्त भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज होने से वादी को घोषणा खातेदारी का दावा करना लाजमी आया

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

है, इसलिए उक्त वाद पुनः वादी व प्रतिवादीगण सं० 2 ता 4 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत है ।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है कि :–

वाके शरहद डीडवाना खेत बसरा नम्बर 1056 रकबा 16 बिस्वा का खातेदारी वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 4 को घोषित किया जावे।

प्रतिवादी तहसीलदार महोदय, डीडवाना के नाम इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करावे कि वे वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 4 के कब्जे काश्त व आधिपत्य के उक्त खसरा नम्बर 1056 में न स्वयं दखल करें, न किसी अन्य से करावे ।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित होने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने वाद पत्र के समर्थन में बयान पी.डब्ल्यु 1 दर्ज करवाये। वादी द्वारा अपने बयानों में बताया कि मैं. व प्रतिवादी नजीर खां, लियाकत खां, व शमीम बानों स्व. सुखे खां के वंशज है। डीडवाना की शरहद में वर्तमान खसरा संख्या 1056 रकबा 0–16 बीघा के पुराने खसरा संख्या 581 रकबा 23–15 बीघा थे उक्त भूमि संवत् 2014 से 2017 में मेरे पिता सुखे खां के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है वर्तमान खतौनी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1, खतौनी संवत् 2014 से 2017 प्रदर्श –2, व खसरा मिलान प्रदर्श –3 है। बक्सू खां मेरे पिता सुखे खां के भाई बंध थे जो परिवार सहित आजादी के समय ही परिवार सहित पाकिस्तान चले गये अब सूखे खां का परिवार का कोई सदस्य भारत में निपवास नही कर रहे है। संवत् 2010 से 2021 की गिरदावरी में उक्त भूमि पर कब्जा काश्त मेरे भाई नजीर खां का नाम दर्ज है। गिरदावरी संवत् 2010 से 2021 प्रदर्श–4 है। उक्त भूमि पर पहले मेरे व मेरे भाई द्वारा चुना–भट्टा के काम ली जाती रही है। उक्त भूमि की खातेदारी जुताई के काबिल दर्ज होने से हमारा नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से रह गया जिस पर हमने दावा करने से पूर्व राज्य सरकार जरिये कलक्टर महोदय नागौर को दो माह का नोटिस दिया जो असल नोटिस प्रदर्श –5, रजिस्टर्ड रसीद प्रदर्श–6 है। वर्तमान समय में मेरा व मेरे भाई नजीर खां व भाई लडके लियाकत खा व शमीम बानों का आज दिन भी है इसलिए उक्त भूमि की खातेदारी की जावे।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में गवाह मुस्ताक खां पुत्र असगर खां कौम कायमखानी निवासी रेल्वे स्टेशन डीडवाना के बयान पी.डब्ल्यु–2 दर्ज करवाये। गवाह के बयान अनुसार डीडवाना की शरहद में वर्तमान खेत खसरा संख्या 1056 रकबा 0–16 बीघा पर जब मैने होश संभाला तब से वादी हुसैन खां व उसके भाई नजीर खां व भतीजे–लियाकतखां व शमीम बानो का देखता आया हूं। उक्त भूमि को वादी पक्ष द्वारा चुना–भट्टा के काम में ली जाती रही है। वर्तमान समय में उक्त भूमि पर कब्जा वादीगण का ही है। बक्सू खां नामक व्यक्ति परिवार सहित पाकिस्तान चले गये जो मैने मेरे दादा व पिता द्वारा सुना है। वर्तमान समय में भी बक्सू खां के परिवार का कोई भी सदस्य भारत में नहीं है। मेरे द्वारा उक्त जायगा के पास रेल्वे स्टेशन से अमरपुरा जाने वाली आम सडक पर स्वयं की दुकान हैइसलिए उक्त भूमि मेरे देखी हुई है।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वर्तमान खसरा संख्या 1056 रकबा 0–16 बीघा पुराना खसरा नम्बर 581 की खातेदारी वादी के पिता सुखे खां व बगसू खां के नाम सम्वत् 2014 से 2017 तक की बतौनी में नाम से दर्ज रही है। बगसू खां वादी के पिता स्व० सुखे खां के निकट के रिश्तेदार यानि भाई–बन्ध थे, जो सामिल ही रहते थे। बगसू खां

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

परिवार सहित देश आजाद होने के समय ही पाकिस्तान जाकर बस गये, जो वहाँ के निवासी हो गये। बगसू खां के परिवार में वर्तमान में कोई भी सदस्य भारत में निवास नहीं कर रहे है। उक्त भूमि अभी भी कब्जा–काश्त वादी व प्रतिवादी सं 2 ता 4 का सदैव से चला आ रहा है। वर्तमान में उक्त राजस्थान सरकार के नाम दर्ज हो गयी। अतः वाद वर्णित उक्त भूमि की खातेदारी राजस्थान सरकार से हटाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम घोषित की जावे।

विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया एवं रेकर्ड का अवलोकन किया। वादी सरहद डीडवाना के वर्तमान खेत खसरा संख्या 1056 रकबा 0–16 बीघा जिसके पुराने खसरा नम्बर 581 रकबा 23 बिघा 15 बिस्वा थी। उक्त भूमि को वादी अपने पैत्रक सम्पति बताकर एवं कब्जा काश्त की बताकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज खातेदारी को हटाते हुए वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम खातेदारी दर्ज करवाने की इस्तदुआ कर रहा है।

वादी का मुख्य कथन है बगसू खां परिवार सहित देश आजाद होने के समय ही पाकिस्तान जाकर बस गये, जो वहाँ के निवासी हो गये। बगसू खां के परिवार में वर्तमान में कोई भी सदस्य भारत में निवास नहीं कर रहे है। उक्त बगसू खां वादी के पिता स्व० सुखे खां के निकट के रिश्तेदार यानि भाई–बन्ध थे। खतौनी संवत् 2014 2017 के अवलोकन अनुसार सुखे खां के पिता साबदी खां एवं बगसू खां के पिता ममदू खां में बतौर खातेदार दर्ज है। परन्तु वादी ने अपने वाद पत्र यह साबित नहीं किया कि उक्त खातेदार बगसू खां किस प्रकार वादी के पिता के भाई–बन्धु थे। मात्र सह खातेदार होने से भाई–बन्धु होने का कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

वादी का अन्य कथन है कि वर्तमान में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। जिसके संबंध में वादी ने मात्र गिरदावरी संवत् 2010 से 2013 प्रस्तुत की है। वादी अपने वाद में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 लगातार चले आ रहे कब्जे काश्त के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। मात्र एक वर्षीय गिरदावरी के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है।

उपरोक्त विवेचनों अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की खातेदारी का राजस्थान सरकार के नाम गलत दर्ज होने का स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः वादी का वाद परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

–:आदेश :–

मौजा सरहद डीडवाना के वर्तमान खेत खसरा संख्या 1056 रकबा 0–16 बीघा भूमि के पुराना खसरा नम्बर 581 रकबा 23 बीधर 15 बिस्वा की भूमि खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाझा बाबत् वादी का वाद परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **21.04.2026** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना